The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 138] No. 138]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2008/श्रावण 28, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2008/SRAVANA 28, 1930

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंद्स संस्थान अधिसुचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

सं. 1-सीए (7)/121/2008,—भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/104/2007, तारीख 8 अक्तूबर, 2007 को अधिक्रांत करते हुए सी.ए. श्रीमती वंदना नागपाल, संस्थान की वरिष्ठ उप सचिव को, अनुशासनात्मक निदेशालय की अध्यक्षा बनने के लिए और उसके द्वारा प्राप्त किसी जानकारी या शिकायत के सम्बन्ध में अन्वेषण करने के लिए निदेशक के रूप में पदाभिहित करती है। वे ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगी जो उन्हें उक्त अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन सौंपे जाते हैं।

टी. कार्थिकेयन, निदेशक एवं कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन III/4/104/2008/असा.]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2008

No. 1-CA(7)/121/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), and in supersession of the Notification No. 1-CA(7)/104/2007 dated 8th October, 2007, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby designates C.A. Smt. Vandana Nagpal, Senior Deputy Secretary of the Institute as the Director (Discipline) to head the Disciplinary Directorate and for making investigations in respect of any information or complaint received by it. She shall perform such functions as are assigned to her under the said Act and the rules and regulations framed thereunder.

T. KARTHIKEYAN, Director and Acting Secy.

[ADVT. III/4/104/2008/Exty.]